

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & 05964-225234

पत्रांक:-6031/12-1

दिनांक, पिथौरागढ़, 18 फरवरी, 2022।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोडा।

विषय :- खण्ड के अन्तर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त प्रस्ताव संख्या **FP/UK/ROAD/7706/2014**, बैराट बौगाड से बैराजुब्बर मोटर मार्ग में विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- कार्यालय- अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय पत्रांक 261/X-4-15/1(140)/2015 दिनांक 12.05.2015 व प्रस्तावक विभाग का पत्रांक 993/ग्रा0नि0वि0/ पी0एम0जी0एस0वाई0 /2021-22 दिनांक: 16.02.2022।

महोदय,


कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे, जिसके परिपालन में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने उपरान्त प्रस्ताव संख्या **FP/UK/ROAD/7706/2014**, बैराट बौगाड से बैराजुब्बर मोटर मार्ग में विधिवत स्वीकृति हेतु अधिरोपित शर्तों का विन्दुवार अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा निम्नानुसार किया गया है।

क्र०स०	विधिवत की	शर्तों का अनुपालन
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.880 है० सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षों का यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर हैं इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात ही प्रदान की जा रही सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत मानी जायेगी।	शर्त संख्या 01 के अनुपालन में विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 2.88 है० भूमि ग्राम ओडयूडा वन विभाग के नाम नामान्तरित/हस्तान्तरित की जा चुकी है, तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु धनराशि रु० 411840.00 (चार लाख ग्यारह हजार आठ सौ चालिस) मात्र सम्बन्धित विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है। [म्यूटेशन रिपोर्ट संलग्न]
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जायेगी।	शर्त संख्या 02 के अनुपालन में मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रु० 411840.00 (चार लाख ग्यारह हजार आठ सौ चालिस) मात्र वर्तमान दरों पर जमा की जा चुकी है। (भुगतान प्रति संलग्न)।
3.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/ 1995 के अंतर्गत आई०ए०सं०- 566 एवं भारत सरकार पत्र सं० -5-3/2007- एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	शर्त संख्या 03 के अनुपालन में मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० सं०- 556 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2017 एफ०सी० दिनांक 05.02. 2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०बी०) की निर्धारित धनराशि रु० 1006560.00 (दस लाख छः हजार पाँच सौ साठ) मात्र विभाग द्वारा जमा की जा चुकी है। (भुगतान प्रति संलग्न)
4.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	शर्त संख्या 04 के अनुपालन में विभाग वचनबद्ध होगा कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०बी० की दरों में बढ़ोत्तरी होती है, तो विभाग द्वारा धनराशि जमा करायी जायेगी। (प्रमाण पत्र संलग्न)

<p>5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या-एस0बी0-25230, कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 कॉम्प्लैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।</p>	<p>शर्त संख्या 05 के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2017 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार एन0पी0बी0 तथा दूसरी सभी निधिया, प्रति पूर्ति, पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ लेखा निकाय के लेखा संख्या एस0बी0 25229 कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार) ब्लाक 11, भूतल सी0जी0ओ0 कॉम्प्लैक्स, फेज-1 लोधी रोड, नई दिल्ली, में जमा कर दी गई है। (भुगतान प्रति/ चालान संलग्न)।</p>
<p>6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू- वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।</p>	<p>शर्त संख्या 06 के अनुपालन में प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।</p>
<p>7. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/ प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।</p>	<p>शर्त संख्या 07 के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख एवं प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जा चुके हैं।</p>
<p>8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावमें निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असन्तोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।</p>	<p>शर्त संख्या 08 के अनुपालन में विभाग द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असन्तोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार पर्यावरण एवं वन विभाग, को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।</p>
<p>9. उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात् प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।</p>	<p>शर्त संख्या 09 के अनुपालन में विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करे।</p>

संलग्न:- यथोपरि ।

भवदीय,


प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़, वन प्रभाग पिथौरागढ़।

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग,
पी0एम0जी0एस0वाई0, डीडीहाट (पिथौरागढ़)**

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

फैक्स नं० 05964-232036

ई-मेल:-(1) eepmgsydihhat@rediffmail.com
(2) exen.res.pmgysy.pth.@gmail.com

पत्रांक:- 993 / ग्रा0नि0वि0 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / 2021-22

दिनांक: 16 - 02 - 2022

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़, वन प्रभाग पिथौरागढ़।

विषय :- खण्ड के अन्तर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त प्रस्ताव संख्या **FP/UK/ROAD/7706/2014**, बैराट बौगाड से बैराजुब्बर मोटर मार्ग में विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- कार्यालय- अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय पत्रांक 261/X-4-15/1(140)/2015 दिनांक 12.05.2015 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करे, जिसके परिपालन में खण्ड के अन्तर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने उपरान्त प्रस्ताव संख्या **FP/UK/ROAD/7706/2014**, बैराट बौगाड से बैराजुब्बर मोटर मार्ग में विधिवत स्वीकृति हेतु अधिरोपित शर्तों का विन्दुवार अनुपालन निम्नानुसार किया गया है।

क्र०स०	विधिवत की	शर्तों का अनुपालन
1.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 2.880 है० सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षों का यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर हैं इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात ही प्रदान की जा रही सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत मानी जायेगी।	शर्त संख्या 01 के अनुपालन में विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 2.88 है० भूमि ग्राम ओडयूडा वन विभाग के नाम नामान्तरित/हस्तान्तरित की जा चुकी है, तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु धनराशि रु० 411840.00 (चार लाख ग्यारह हजार आठ सौ चालिस) मात्र सम्बन्धित विभाग के पक्ष में जमा की जा चुकी है। {म्यूटेशन रिपोर्ट संलग्न}
2.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जायेगी।	शर्त संख्या 02 के अनुपालन में मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों के रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रु० 411840.00 (चार लाख ग्यारह हजार आठ सौ चालिस) मात्र वर्तमान दरों पर जमा की जा चुकी है। (भुगतान प्रति संलग्न)।
3.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/ 1995 के अंतर्गत आई०ए०सं०- 566 एवं भारत सरकार पत्र सं० -5-3/2007- एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	शर्त संख्या 03 के अनुपालन में मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० सं०- 556 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2017 एफ०सी० दिनांक 05.02. 2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०बी०) की निर्धारित धनराशि रु० 1006560.00 (दस लाख छः हजार पाँच सौ साठ) मात्र विभाग द्वारा जमा की जा चुकी है। (भुगतान प्रति संलग्न)
4.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०वी० की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	शर्त संख्या 04 के अनुपालन में विभाग वचनबद्ध होगा कि सक्षम स्तर से यदि एन०पी०बी० की दरों में बढ़ोत्तरी होती है, तो विभाग द्वारा धनराशि जमा करायी जायेगी। (प्रमाण पत्र संलग्न)

5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या-एस0बी0-25230, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस-पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।	शर्त संख्या 05 के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2017 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार एन0पी0बी0 तथा दूसरी सभी निधिया, प्रति पूर्ति, पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ लेखा निकाय के लेखा संख्या एस0बी0 25229 कॉरपोरेशन बैंक (भारत सरकार) ब्लाक 11, भूतल सी0जी0ओ0 कॉम्पलैक्स, फेज-1 लोधी रोड, नई दिल्ली, में जमा कर दी गई है। (भुगतान प्रति/ चालान संलग्न)।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।	शर्त संख्या 06 के अनुपालन में प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।
7.	प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/ प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	शर्त संख्या 07 के अनुपालन में वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख एवं प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जा चुके हैं।
8.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावमें निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	शर्त संख्या 08 के अनुपालन में विभाग द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार पर्यावरण एवं वन विभाग, को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
9.	उपरोक्त शर्तों के अनुपालन पश्चात् प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	शर्त संख्या 09 के अनुपालन में विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करे।

उक्त के अतिरिक्त जो भी आवश्यक कार्यवाही अपेक्षित होगी विभाग द्वारा अनुपालन किया जायेगा। अतः अनुरोध करना है कि उक्त मोटर मार्ग में विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,



अधिसासी अभियन्ता,

ग्रा0नि0वि0, पी0एम0जी0एस0वाई0,

डीडीहाट (पिथौरागढ़)।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: -

- 1- अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कालौनी, इन्द्रानगर, देहरादून, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 2- मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, (कु0क्षे0) लो0नि0वि0, अल्मोड़ा, को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0, देहरादून, को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिसासी अभियन्ता,

ग्रा0नि0वि0, पी0एम0जी0एस0वाई0,

डीडीहाट (पिथौरागढ़)।